



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

क्र. : 3200 /SEIAA/2022

दिनांक: 26/02/2022

प्रति,

मेसर्स श्री राधेश्याम मिनरल्स,
पार्टनर व्हेकटेश्वर खेड़िया,
निवासी खेड़िया भवन, पोस्ट बिजुरी,
जिला अनूपपुर (म.प्र.) - 484440

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/226842/2021 - प्रकरण क्र. 5611/2017 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री राधेश्याम मिनरल्स, पार्टनर व्हेकटेश्वर खेड़िया, निवासी खेड़िया भवन, पोस्ट बिजुरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) - 484440 द्वारा ग्रेनाईट खदान उत्पादन क्षमता 1517 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं सेलबल वेस्ट 8599 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.58 हेक्टेयर, खसरा 1137/1, 1137/2, 1137/3, 1137/5, 1148, 1149/1, 1149/2, 1149/3, 1150, 1152/1, 1152/2, 1157/1, 1157/2, 1157/4, 1157/5, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1159/1, 1159/2क, 1159/2ख, 1159/3, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1167/1, 1167/2, 1168/1, 1168/2, 1168/3, 1169/1, 1169/2, 1170, 1171 and 1172/2, ग्राम थानगाँव, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 704 वी बैठक दिनांक 14.02.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


"प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :-

1. प्रकरण में SEIAA समिति की 485 वी बैठक दिनांक 18.05.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार SEIAA पत्र क्र. 942 दिनांक 02.06.2018 द्वारा ग्रेनाईट ब्लॉक उत्पादन क्षमता 1517 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 9.58 हे. ग्राम - थानगाँव, तहसील -कोतमा, जिला - अनुपपुर हेतु पूर्व में पर्यावरण स्वीकृत पत्र जारी किया गया था।
2. SEIAA द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में सैलेबल वेस्ट (Unsize Block) 8599 घनमीटर जोड़ने हेतु 681वी बैठक दिनांक 04.08.2021 में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पत्र क्र. 1706-07 दिनांक 19.08.2021 को सूचित किया गया।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आनलाईन फार्म - 4 में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन कर सैलेबल वेस्ट 8599 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया है।
4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में सैलेबल वेस्ट (Unsize Block) 8599 घनमीटर प्रतिवर्ष को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02.06.2018 में सम्मिलित किये जाने की अनुशांसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से सैलेबल वेस्ट (Unsize Block) को सम्मिलित कर संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री राधेश्याम मिनरल्स, पार्टनर व्यंकटेश्वर खेड़िया, निवासी खेड़िया भवन, पोस्ट बिजुरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) - 484440 द्वारा ग्रेनाईट खदान उत्पादन क्षमता 1517 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.58 हेक्टेयर, खसरा 1137/1, 1137/2, 1137/3, 1137/5, 1148, 1149/1, 1149/2, 1149/3, 1150, 1152/1, 1152/2, 1157/1, 1157/2, 1157/4, 1157/5, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1159/1, 1159/2क, 1159/2ख, 1159/3, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1167/1, 1167/2, 1168/1, 1168/2, 1168/3, 1169/1, 1169/2, 1170, 1171 and 1172/2, ग्राम थानगोव, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की उपरोक्त पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 942-43 दिनांक 02.06.2018 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता को यथावत रखते हुये उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।"


उपरोक्त निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 942-43 दिनांक 02.06.2018 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता को यथावत रखते हुये सेलबल वेस्ट 8599 घनमीटर प्रतिवर्ष को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र. 320 / SEIAA / 2022 भोपाल
प्रतिलिपि :-

दिनांक 26/2/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. श्री इंदर सिंह आत्मज श्री अमर सिंह, निवासी - ग्राम तुलतारिया, तहसील व जिला - राजगढ़ (म.प्र.)
10. खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

